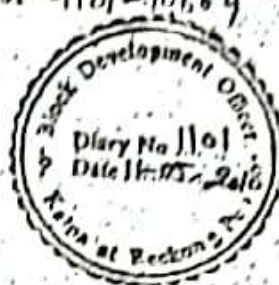


संख्या : पी.सी.एच.-एच.ए (3)/2001-4181-10664
हिमाचल प्रदेश सरकार,
पंचायती राज विभाग।



प्रेषक:

सचिव(पंचायती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्रेषित:

1. समस्त ग्राम पंचायत प्रधान,
हिमाचल प्रदेश।
2. समस्त सचिव/पंचायत सहायक,
ग्राम पंचायत, हिमाचल प्रदेश।

शिमला-171009, दिनांक 23 अप्रैल, 2010

विषय:- ग्राम सभा की बैठकों के सफल आयोजन हेतु दिशा निर्देश।

महोदय/महोदया,

801

मुझे आपके ध्यान में यह लाना है कि ग्राम सभा की बैठक की कार्यसूची की मदों के अलावा एक मद अन्य मुद्दे (other items) रखी जाती है जबकि ग्राम सभा की बैठक की कार्यसूची की मदें चिन्हित होनी चाहिए। ग्राम सभा बैठक की कार्यसूची में मदें स्पष्ट की जाए और "अन्य मदें" नाम की कोई भी मद न रखी जाए। इसके बावजूद भी यदि ग्राम सभा की बैठक में अन्य मुद्दे (other items) पर चर्चा होती है (जो कार्य सूची में शामिल नहीं थी) तो वह मान्य नहीं होगी।

अतः आप से अनुरोध है कि आप यह सुनिश्चित करें कि ग्राम सभा की बैठक में उन्हीं मदों पर विचार विमर्श किया जाए जो बैठक की कार्यसूची में विनिर्दिष्ट हों। बैठक में पहले कार्यसूची सभी परिवारों को प्रदर्शित की जाए तथा उस पर

परिवार के किसी व्यस्क व्यक्ति के हस्ताक्षर भी लिए जाएं। कार्य सूची को ग्राम पंचायत नोटिस बोर्ड तथा सभा क्षेत्र के अन्य सहज दृश्य पर भी चिपकाया जाए।

भवदीय,

विशेष सचिव (पंचायती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या- पी.सी.एच.-एच.ए (3)3/2001-
प्रतिलिपि:-

शिमला-17109

22 अप्रैल 2010

समस्त जिला पंचायत अधिकारी एवं ग्राम्य विकास खण्ड अधिकारी, हिमाचल प्रदेश को इस निर्देश सहित कि वे उक्त निर्देशों का गंतागत स्तर पर कड़ाई से पालन करवाना सुनिश्चित करें।

विशेष सचिव (पंचायती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पुं. सं. देवी (ग्राम स्व.) 1342-64

दिनांक 13-05-2010

हीनोली: - सभा क्षेत्र पंचायत सचिव, पंचायत सचिव, विभाग एवं ग्राम स्व. के
मुख्यालय एवं ग्राम स्व. के माध्यम से।

—
[Signature]
मुख्य सचिव, पंचायती राज
विभाग, हिमाचल प्रदेश
शिमला